<table>
<tr><th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ</th></tr>
<tr><td>19/12/2013</td><td>

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील वाद सं0 30/2012
तहसीन बानो बनाम राज्य एवं अन्य
आदेश

संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 14659/2012 तहसीन बानो बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.10.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट. याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 346/आ0 दिनांक 3.3.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी द्वारा गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 15.11.2011 को तहसीन बानो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनुज्ञप्ति सं0 126/07, पंचायत–धवरी, प्रखंड–बनियापुर के दूकान की जॉच की गई। निरीक्षण के समय 12.30 बजे अपराह्न में दूकान बंद पाई गई थी तथा विक्रेता अनुपस्थित पाई गई थी, जिसके कारण दूकान से संबंधित पंजियों की जॉच नहीं की जा सकी थी। उक्त के संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विक्रेता द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद बताया तथा जॉच की तिथि को दूकान बंद कर विक्रेता द्वारा जॉच पदाधिकारी को जॉच कार्य में जानबूझकर असहयोग किया गया था, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तों के उल्लंघन बताते हुए विक्रेता के दूकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी थी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 15.11.2011 को प्रातः निर्धारित समय पर अपीलार्थी ने अपनी दूकान खोली थी तथा प्रतिष्ठान संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य निर्धारण पट्ट को अद्यतन कर करीब 12.00 बजे तक दूकान पर उपस्थित रही थी। दूकान में किसी भी सामाग्रियों का भंडार शेष नहीं था तथा सामग्रियों का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जा चुका था। अपीलार्थी के दूकान के स्टॉक में कोई सामान नहीं था, इसलिए किसी भी उपभोक्ता के दूकान पर नहीं आने की संभावना के कारण अपीलार्थी उक्त तिथि को दवा लाने हेतु छपरा चली गई थी, जिस कारण जॉच दल को दूकान बंद पाई गई। अपीलार्थी की चिकित्सीय पर्ची संलग्न है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के विरूद्व आज तक किसी भी

</td><td></td></tr>
</table>